न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी : मलखान सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP01998

UPLK010076192026

1- प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3720/2026

सलमान खान, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र समसुल हक उर्फ शम्सुल हक खान, मूल निवासी ग्राम व पोस्ट बहादुरगंज कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर। हाल पता फ्लैट अमलतस इंक्लेव, ईस्माइलगंज, सेक्टर-8, थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ। **.....आवेदक/अभियुक्त।**

अपराध संख्या- 95/2026
धारा- 109, 191(2), 191(3), 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा-3/25 आयुध अधिनियम,
थाना- अलीगंज, जनपद- लखनऊ।

UPLK010077222026

2- प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3783/2026

आकाश कुमार वाल्मीकि, आयु लगभग 22 वर्ष, पुत्र प्रदीप वाल्मीकि, निवासी 636/15, प्रगति नगर, तकरोही, थाना इंदिरानगर, जनपद लखनऊ। **.....आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोजन।**

अपराध संख्या- 95/2026
धारा- 109, 191(2), 191(3), 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023
थाना- अलीगंज, जनपद- लखनऊ।

19.06.2026.

1. उपरोक्त प्रथम जमानत आवेदन संख्या- 3720/2026 व 3783/2026 क्रमशः आवेदकगण/अभियुक्तगण **सलमान खान व आकाश कुमार वाल्मीकि** की ओर से उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, जो शपथी सिकन्दर खान व शपथी प्रदीप वाल्मीकि उर्फ प्रदीप कुमार वाल्मीकि के शपथ पत्रों से समर्थित हैं।

उपरोक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही मुकदमा अपराध/घटना से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों आवेदनों का निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा यशराज सिंह ने दिनांक 02.06.2026 को जब वह अपने मित्र जयश त्रिपाठी, रजनीश यादव के साथ जा रहा था, तो नये नगर निगम ऑफिस के साथ पहले से घात लगाये सलमान खान, सौरभ यादव, हेमंत वर्मा, आकाश वाल्मीकि, ऋतिक सिंह, विशाल सिंह व अन्य 7-8 द्वारा रॉड, डण्डा एवं 3-4 पिस्टल से उन लोगों पर जानलेवा हमला किये जाने, वादी व उसके साथियों के सिर पर पिस्टल की बट से वार करने, लोहे की रॉड व धारदार हथियार से जान से मारने हेतु हमला किये जाने व धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 02.06.2026 को समय 16:01 बजे, थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ में उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-109, 191(2), 191(3), 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से मुख्यतः ये कथन किये गये हैं कि अभियोजन कथानक मनगढ़ंत व फर्जी है। कथित अपराध में आवेदकगण/ अभियुक्तगण की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई घटना घटित नहीं हुई है, आवेदकगण को झूठे व फर्जी तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। चोटहिल के मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उसे कोई गम्भीर चोट नहीं आयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना कारित करने का कोई हेतुक नहीं दर्शाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा आवेदकगण को पूर्व छात्र राजनीति की रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध थाना हसनगंज, लखनऊ में अपराध संख्या-62/2025 अंतर्गत धारा-190, 191(2), 191(3), 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता व अपराध संख्या-65/2025 अंतर्गत धारा-191(2), 115(2), 125 भारतीय न्याय संहिता के मुकदमें दर्ज हैं। आवेदकगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वे दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं, उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता है, अतः उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत आवेदनों का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, उनके द्वारा सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर उक्त घटना कारित की गयी है, जिससे वादी पक्ष को चोटें आई हैं। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदनों को निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

5. सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परीशीलन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण पर अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके साथियों पर जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट किये जाने व धमकी देने का अपराध आक्षेपित है। दौरान विवेचना दिनांक 02.06.2026 को आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा आवेदक/ अभियुक्त सलमान खान की जामा तलाशी से एक अदद देशी पिस्टल अवैध व चार अदद जिन्दा कारतूस की बरामदगी दर्शायी गयी है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा व उसके साथियों के अस्पताल में एडमिट होने व उसके इलाज होने के सम्बन्ध कोई प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, चोटहिलों को कोई गम्भीर चोट नहीं आयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभियोजन की ओर से उनका कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रकरण के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है, तदनुसार प्रस्तुत दोनों प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **सलमान खान एवं आकाश कुमार वाल्मीकि** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र क्रमशः संख्या-3720/2026 व 3783/2026 **स्वीकार** किये जाते हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण में **प्रत्येक द्वारा** मु० 90,000/- (नब्बे हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित विचारण न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर धारा-480(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में वर्णित शर्तों के अधीन, जमानत पर रिहा किया जाये।

आदेश की एक प्रति जमानत आवेदन संख्या-3783/2026 की पत्रावली में रखी जाये।

दिनांक-19.06.2026.

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.06.20 11:27:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court